EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos.1793—1799

Dated 02-08-2003

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(सी. पी. वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2003

सा. का. नि. 279.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियमावली, 1996 के अतिक्रमण में जहां तक आशुलिपिकों के पद का संबंध है सिवाय ऐसे अतिक्रमण से पहले कोई कार्य किया गया हो अथवा करने से छोड़ दिया गया हो, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय (सी पी वी प्रभाग) के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के आशुलिपिक ग्रेड-I, आशुलिपिक ग्रेड-II, तथा आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों के लिए भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (आशुलिपिक ग्रेड-I, आशुलिपिक ग्रेड-II, और आशुलिपिक ग्रेड-III) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2003 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियोग** — ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (1) में निर्धारित पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) के अनुसार होगा।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य योग्यता आदि.**—भर्ती की तरीका, आयु-सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) के अनुसार होंगे।

5. **सेवा की शर्तें.**—आशुलिपिक ग्रेड-I और आशुलिपिक ग्रेड-II भारत में किसी भी ड्यूटी पद पर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे जिस पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे तैनात किया जाए।

6. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह करने के लिए सम्पर्क किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो उक्त पदों के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमेय है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

7. **छूट देने की शक्तियां.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा सामयिक है, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करने और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश के जरिए किसी भी श्रेणी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

8. **बचत.**—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार इन नियमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	आशुलिपिक (ग्रेड-1)
2. पद की संख्या	:	06* (2003) *कार्यभार के कारण परिवर्तन हो सकता है

3. वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'', राजपत्रित, सचिवालयीय
4. वेतनमान	:	रु. 5500–175–9000 रु.
5. क्या चयनित अथवा गैर चयनित पद	:	चयनित पद
6. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन की गई सेवा का लाभ अनुमेय	:	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती के लिए वांछित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं
9. क्या पदोन्नतियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	:	लागू नहीं
10. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
11. भर्ती का तरीका क्या सीधी अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे गए पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया	:	पदोन्नति, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा जिसके उपलब्ध न होने पर आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के ग्रेडों में संयुक्त रूप से 10 वर्षों की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-II के ग्रेड में नियमित दो वर्षों की सेवा। **नोट :** जहां कनिष्ठों ने अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी 2 वर्ष की अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक की वांछित अर्हता/पात्रता सेवा, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों जिन्होंने इस प्रकार की अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह ''ख'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) जिसमें :— 1. संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अधिकारी —अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन)/अवर सचिव (प्रशा.), केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन —सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन)/निदेशक (प्रशा.) विदेश मंत्रालय —सदस्य 4. उप सचिव (स्थापना)/निदेशक (स्था.), विदेश मंत्रालय —सदस्य 5. संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी द्वारा नामित एक पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य
14. भर्ती करने में वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

2. 1 आशुलिपिक (ग्रेड-II)

2 11*

(2003) *कार्यभार के कारण परिवर्तन हो सकता है।

3 सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित, सचिवालयीय

4 5000-150-8000 रु.

5 गैर चयनित पद

6 नहीं

7 लागू नहीं

8 लागू नहीं

9 लागू नहीं

10 दो वर्ष

11 पदोन्नति

12 पदोन्नति : केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में आशुलिपिक ग्रेड-III में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित।

13 समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें :—

1. विदेश मंत्रालय के सी पी वी प्रभाग में निदेशक--अध्यक्ष
2. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन प्रभारी एक उप सचिव—सदस्य
3. विदेश मंत्रालय में दो उप सचिव--सदस्य
4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के केडर के एक पासपोर्ट अधिकारी/उप पासपोर्ट अधिकारी--सदस्य

14 संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं।

---

3. 1 आशुलिपिक (ग्रेड-III)

2 11*

(2003) *कार्यभार के कारण परिवर्तन हो सकता है

3 सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित सचिवालयीय

4 4000-100-6000 रु.

5 गैर चयनित पद

6 नहीं

7 25 वर्ष से अधिक नहीं, इस विषय में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट।

नोट : भारत में आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्याशियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्पिति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के उप क्षेत्र पांगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि

8 (क) मैट्रिक अथवा समकक्ष

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से (हिंदी/अंग्रेजी) आशुलिपि में प्रमाण पत्र

(ग) हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति

9 जी हां, कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाले तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति पाने वाले भी

10 दो वर्ष

11 *(क) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा 25 प्रतिशत जिनके प्राप्त न होने पर सीधी भर्ती से

12 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रत्याशी अवर श्रेणी लिपिक/केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में अपर श्रेणी लिपिक होने चाहिए,

जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो अथवा परीक्षा विनियमों में निर्धारित ''निर्धारित तिथि'' के दिन अवर श्रेणी लिपिक और अपर श्रेणी लिपिक के रूप में संयुक्त रूप से 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।

13 लागू नहीं

14 संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं।

[सं. वी-IV/801/1/2000]

ई. मार्टिन, निदेशक

(C.P.V. Division)

New Delhi, the 21st July, 2003

G.S.R. 279.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1996 in so far as they relate to the post of Stenographers except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-I, Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III in the Central Passport Organisation, Ministry of External Affairs (CPV Division), namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Stenographer Grade-I, Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III) Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columms (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Terms and conditions of service.**—Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II will be liable to serve in any duty post in India to which he/she may be posted by the controlling authority.

6. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	:	Stenographer Grade-I
2. Number of post	:	06* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000/-
5. Whether selection or non-selection post	:	Selection post

6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services Rules, 1972	: Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	: Not applicable
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	: Not applicable
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10.	Period of probation, if any	: Two years
11.	Method of recruitment whether by direct by promotion or by deputation/ absorption and % of the posts to be filled by various methods	: Promotion
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	: Promotion: Stenographer Grade. II in the Central Passport Organisation with three years' regular service in the grade failing which Stenographer Grade. II with ten years' combined regular service in the grades of Stenographer Grade. II and Stenographer Grade. III with two years' regular service in the grade of Stenographer Grade. II. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer-in-charge of Central Passport Organisation — Chairman 2. Deputy Secretary (Administration)/Under Secretary (Administration). Central Passport Organisation — Member 3. Deputy Secretary (Administration)/Director (Administration), Ministry of External Affairs —Member 4. Deputy Secretary (Establishment)/ Director (Establishment), Ministry of External Affairs —Member 5. A Passport Officer/Deputy Passport Officer nominated by the Joint Secretary and Chief Passport Officer —Member
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	: Consultation with UPSC not necessary

2. 1. Stenographer Grade. II

2. 11*
*(2003) Subject to variation dependant on work-load

3. General Central Service,. Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

2099 EA/03—2

4. Rs. 5000-150-8000
5. Non-selection post
6. No
7. Not applicable
8. Not applicable
9. Not applicable
10. Two years
11. Promotion
12. **Promotion :** Stenographers Grade III in the Central Passport Organisation with eight years' regular service in the grade.
13. **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—**
    1. Director in the Consular Passport Visa Division of Ministry of External Affairs —Chairman
    2. One Deputy Secretary incharge of Administration of Central Passport Organisation —Member
    3. Two Deputy Secretaries in the Ministry of External Affairs —Member
    4. A Passport Officer/Deputy Passport Officer of the cadre of Central Passport Organisation—Member
14. Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

---

1. Stenographer (Grade-III)
2. 11*

   *(2003) Subject to variation dependant on workload
3. General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. Rs. 4000-100-6000
5. Non-selection post
6. No
7. Not exceeding 25 years (Relaxable for Govt. servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).

   Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
8. (a) Matriculation or equivalent;

   (b) Certificate in short-hand (Hindi/English) from a recognised institution; and

   (c) Possession of speed in typing at 80 words per minute in Hindi and 40 words per minute in English.
9. Yes, promotees through Limited Departmental Competitive Examination should also have minimum educational qualification as prescribed for direct recruitment under column 8.
10. Two years.
11. (a) 75% by direct recruitment through Staff Selection Commission.

    (b) 25% by Limited Departmental Competitive Examination, failing which by direct recruitment.
12. Candidates for the Limited Departmental Examination should be Lower Division Clerks/Upper Division Clerks in the Central Passport Organisation having rendered not less than eight years regular service as Lower Division Clerk or combined regular service of eight years as Lowder Division Clerk and Upper Division Clerk, on the 'crucial date' as determined in the examination regulations.
13. Not applicable.
14. Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[No. V-IV/801/1/2000]

E. MARTIN, Director

MGIPRRND—2099 EA/03—400